

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं.63/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024 / 112)

तारीख दायरा
20.08.2024

तारीख निर्णय
11.03.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी



बनाम

घीसीबाई पत्नी त्रिलोक जाति बलाई
निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील तालेडा जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी हरजी आ. बाला को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 275 कुल रकबा 2.2500 हैक्टेयर वाकेग्राम राजपुरा आवंटन आदेश दिनांक 23.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 63/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/112 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है, मौके पर उक्त भूमि पर ग्राम राजपुरा के ही अन्य व्यक्ति जुजार सिंह पुत्र मनोहर सिंह एवं लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुरा द्वारा चावल की फसल कर कब्जा काशत किया हुआ है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि हरजी आ. बाला जाति बलाई निवासी राजपुरा को दिनांक 23.11.1975 को भूमि खसरा सं. 275 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा वार्केग्राम राजपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम राजपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 275 रकबा 2.2500 हेक्टेयर पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है। उक्त भूमि पर ग्राम राजपुरा के ही अन्य लोग जुजारसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत एवं लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी राजपुरा द्वारा चावल की फसल कर कब्जा काशत किया हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।


जिला क्लर्क, बूंदी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी हरजी आ. बाला जाति बलाई निवासी राजपुरा को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 275 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा वाकेग्राम राजपुरा (हाल रकबा 2.2500 हैक्टेयर) दिनांक 23.11.1975 एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर करवाई जावे।



आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बुन्दी